नागरिक अधिकार पत्र

(Citizen Charter)

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्

Uttarakhand Bamboo and Fiber Development Board

नागरिक अधिकार पत्रः

''नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा व्यवस्थित सूचना पत्र है, जिसके द्वारा नागरिकों को उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों/सेवाओं की जानकारी दी जाती है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक अधिकार पत्र में उल्लेखित समयवद्धता के अनुरूप वांछित सेवाऐं प्राप्त कर सके तथा सेवाऐं समय पर न मिलने की अपील उच्चाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सके। नागरिक अधिकार पत्र में परिषद् द्वारा संचालित गतिविधियों/सेवाओं की समयवद्धता एवं पारदिर्शिता उल्लेख किया गया है।''

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद का परिचयः

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् प्रदेश में बांस एवं प्राकृतिक रेशा आधारित विकास हेतु राज्य की नोडल ऐजेसी के रूप में कार्यरत है। परिषद् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मदारी (CSR) की वित्तीय सहायता से बांस एवं रेशा आधारित गतिविधियों को संचालित कर रही है।

परिषद् के उद्देश्यः

- बांस एवं प्राकृतिक रेशे को वन संरक्षण एवं औधौगिक विकास के लिए बढ़ावा देना तथा इसका सतत प्रबन्धन एवं उत्पादन बढ़ाने हेतु वन पंचायत/सामुदायिक भूमि एवं निजी भूमि पर बांस/प्राकृतिक रेशे का रोपण करना।
- बांस एवं रेशा से सम्बन्धित अनुसंधान एवं शोध, सूचना एवं तकनीकी प्रसारण के साथ साथ संसाधन विकास, बांस एवं रेशा आधारित वस्तुओं का उत्पादन, डिजायन, विपणन आदि को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार की ओर से विभिन्न विभागों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों के बीच समन्वयन स्थापित करना।
- प्रदेश के काश्तकारों, शिल्पियों तथा बुनकरों को बांस एवं रेशा आधारित रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना तथा इस हेतु विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का क्षमता विकास करना आदि है।
- बांस आधारित भूकम्प प्रतिरोधी गृह निर्माण को तकनीकि सहायता के साथ साथ क्रियान्वय करना।
- प्रदेश में बांस एवं प्राकृतिक रेशे के विकास हेतु नीति तैयार करना तथा उद्यमियों को बांस एवं प्राकृतिक पर आधारित गृह/लघु/मध्यम उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- बांस एवं रेशा आधारित उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था करना।

दृष्टिकोणः

- बांस को व्यवसायिक रूप से बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों को बढ़ावा देना तथा सम्भावित उद्योगों की दृष्टि से सुयोग्य बांसों का रोपण।
- कच्चा माल जैसे– बांस/रिंगाल/प्राकृतिक रेशे इत्यादि की कटाई हेतु नियम एवं शर्तो को सुनिश्ति करना जिससे कि बढ़ते बाजार मांग से प्राकृतिक वनों पर दबाव न पड़े।
- बांस एवं रेशे पर कार्यरत कारीगरों को कच्चे माल की आपूर्ति आसानी से हो सके, इस हेतु उनके गांव के आस–पास संसाधन विकास जैसे– बांस/रिंगाल/रेशे के रोपण को प्रोत्साहित करना।
- बाजार मांग के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने, उत्पादित वस्तुओं की एकरूपता बनाये रखने हेतु सामुहिक रूप से कार्य करने की भावना विकसित करना तथा कारीगरों का स्वयं सहायता समूह एवं सहकारिता/फेडरेशन का गठन कर ग्रामीण समुदाय को स्वालंबन बनाना।
- कारीगरों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार देने हेतु व्यवहारिक तंत्र तैयार करना तथा समुदाय आधारित संगठनों जैसे–स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारिताओं को विभिन्न विभागो, कम्पनियों एवं संस्थाओं के साथ जोड़ना तथा व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजार व्यवस्था स्थापित करना।

- कारीगरों को उच्च मात्रा–कम गुणवत्ता से कम मात्रा–उच्च गुणवत्ता की ओर ले जाना जिससे कि कच्चे माल की आवश्यकता कम होगा साथ ही तैयार उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- कारीगरों को आधुनिक माशीन तथा तकनीकि सहायता हेतु उचित मार्गदर्शन देने उद्देश्य से सामुदायिक सुविधा केन्द्रों/संसाधन केन्द्रों की स्थापना कारना तथा बाजार मांग तथा प्रचलित डिजायनों के अनुरूप बांस/रिंगाल एवं रेशे पर आधारित दस्तकारी को बढ़ावा देना।

परिषद् के अन्तर्गत संचालित गतिविधियां तथा आवेदन की प्रक्रियाः

क्रम सं0	गतिविधियों का विवरण	आवेदन करने का माध्यम	समय रेखा	टिप्पणी
1	बांस नर्सरी स्थापना के लिए आवेदन	ऑनलाईन/ऑफलाईन	बजट की उलब्धता के आधार पर।	बांस नर्सरी की स्थापना हेतु वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर इच्छा की अभिव्यक्ति समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है तथा सम्बन्धित विज्ञापन परिषद् की बेबसाईटः www.ubfdb.org.in पर भी अपलोड की जाती हैं। इच्छुक नागरिक अर्हरता को पूर्ण कर विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित समय तक प्रस्ताव परिषद् में जमा कर सकते हैं।
2	बांस रोपण का कार्य	ऑनलाईन/ऑफलाईन	वर्षाकाल में बजट की उपलब्धता के आधार पर।	बांस रोपण हेतु कोई भी ग्राम पंचायत/वन पंचायत तथा किसान/निजी फर्म बांस रोपण हेतु आवेदन कर सकते है । बजट की उपलब्धता के आधार पर बांस रोपण का लक्ष्य आवंटित किया जाता है।
3	बांस आधारित कुटीर उद्योग/मूल्य संम्बर्द्धन एवं उत्पादन ईकाई की स्थापना।	ऑनलाईन/ऑफलाईन	बजट की उलब्धता के आधार पर।	बांस आधारित कुटीर उद्योग/मूल्य संम्बर्द्धन एवं उत्पादन ईकाई की स्थापना हेतु वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर इच्छा की

				अभिव्यक्ति समय–समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है तथा सम्बन्धित विज्ञापन परिषद् की बेबसाईटः www.ubfdb.org.in पर भी अपलोड की जाती हैं। इच्छुक नागरिक अर्हरता को पूर्ण कर विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित समय तक प्रस्ताव परिषद् में जमा कर सकते हैं।
4	हस्तशिल्पियों/बुनकरों का कौशल विकास/प्रशिक्षण	ऑफलाईन आवेदन।	बजट की उलब्धता पर।	चिन्हित क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर।

नागरिक अधिकार पत्र में सुधार एवं शिकायत निवारण तंत्र।

परिषद् नागरिक अधिकार पत्र के अन्तर्गत दी जा रही सेवाओं की आवश्यकता के आधार पर समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परिषद् के सभी कार्मिकों द्वारा नागरिकों की शिकायत विनम्र सहायक सेवा की जायेगी। कोई भी नागरिक उल्लेखित नागरिक अधिकार पत्र के सम्बन्ध में अपने सुझाव, सिफारिश आदि को दर्ज करने हेतु निम्न पते पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं–

1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, इन्दिरा नगर, देहरादून।	फोन एवं फैक्सः 0135–2761155 ईमेलः uabamboo@gmail.com website: www.ubfdb.org.in

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्